न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खोरीमहुआ (गिरिडीह)

वाद सं० 61/2017
सुमित्रा देवी वगैरह - बनाम - जितेन्दर सिन्हा
धारा 144 दं०प्र०सं०

आदेश फलक

16-9-17

अभिलेख उपस्थापित। प्रश्नगत भूमि गावाँ थाना के अन्तर्गत मौजा - सॉख खाता नं० 53 प्लॉट नं० 851 एवं 852 रकबा 80 डी० के मध्ये 16 डी० एवं 08 डी० चौहदी, है उ०- पक्की सड़क जो खोरी महुआ जाती है द०- निमियाँ पहाड़ी एवं जंगल, पु०- शिव मंदिर एवं पहाड़ी है प०- जितेन्दर सिन्हा एवं वासु देव यादव का प्लॉट है।

उक्त प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में दोनो पक्षों के ओर से कारण-पृच्छा दाखिल किया गया है जिसमें दोनो पक्षों का कथन लिखित बहस में अंकित है।

प्रथम पक्ष का कहना है कि- प्रश्नगत भूमि उन्हें दान पत्र से मिला है जिसे द्वितीय पक्ष हड़पना चाहता है। प्रथम पक्ष के द्वारा हुकुमनामा, दान पत्र, एवं पूर्व निर्गत रसीद की छाया प्रतियाँ दाखिल किया गया है।

द्वितीय पक्ष का कहना है कि- प्रश्नगत भूमि को वे अपने चाचा से वजरिये निबंधित केवाला से हासिल किए हैं जिसका रसीद निर्गत है। द्वितीय पक्ष के द्वारा केवाला एवं रसीद की छाया प्रतियाँ दाखिल किया गया है। अभिलेख का अवलोकन किया भूमि पर दोनो पक्ष दावा करते हैं प्रश्नगत भूमि के दखल के बारे मे स्पष्टता नही हो पा रहा है।

P.T.O.

लगायी गयी निषेधाज्ञा की अवधि समाप्त हो चुकी है। इसलिए इस वाद की कार्यवायी समाप्त की जाती है।

लेखापित

अनु० दण्डा०

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरी महुआ।

Scanned with CamScanner